अदालत ........................................................ मुकाम ........................................................

........................................................ बनाम ........................................................

करम मुकदमा ........................................................ नं. ........................................ सन् ........................................

| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|---|---|---|
| 22-1-25 | पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि मौजा राजगढ तालाब प. ह. मेघपुरा के खाता स. 25 आराजी स. 493/303 रकबा 1.0520 है. पर प्रार्थीगण व प्रतिवादी स. 2 गंगाराम जी अपने अपने हक हिस्से पर 1/6 1/6 हिस्से अनुसार भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। दिनांक 5-4-2020 को विपक्षी स-1 व 2 ने प्रार्थीगण की पैत्रिक कब्जे काश्त की भूमि को छीनने एंव कब्जा करने का प्रयास करते हुए धमकियां दी इस लिए विपक्षी स. 1 व 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि मूल वाद के निस्तारण तक आ. स. 493/303 रकबा 1.052 है भूमि मे स्वयं प्रवेश करें और ना ही किसी प्रकार की दखलंदाजी करें और ना ही किसी नौकर एजेन्ट रिश्तेदार मजदूर आदि से करावें। इस पर वकील विपक्षी ने अपनी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि उक्त वर्णित भूमि पर प्रार्थीगण का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है। विपक्षी स. 1 ने वैध रूप से विक्रय प्रतिफल राशि अदा कर भूमि क्रय खातेदार गंगाराम से कब्जा प्राप्त किया है। कानूनन खातेदार काश्तकार को पाबन्द नही किया जा सकता है। प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस को ध्यान पूर्वक सुनी गई व प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण मे प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 मे गंगाराम पिता किशना कहार के नाम से दर्ज अंकित थी। जमाबन्दी मे नोट अंकितानुसार ना. स. 643 दिनांक 28-5-2015 व ना. स. 690 दिनांक 12-3-2016 विक्रय से रजियाबानु पति मो. सलीम के नाम दर्ज अंकित है। व ना स. 818 दिनांक 22-6-2020 के अनुसार विक्रय से मुकेश कुमार राठौर के नाम अंकित किया हुए है। जो वर्तमान मे विपक्षी | |

| ...ालिब हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज |
| --- | --- |
| | गण 1 व 2 खाते दार है। मूल वाद अ.धा. 188-88<br>सं A का है जिसका निस्तारण साक्ष्य सबूत व दस्तावेज<br>के आधार पर किया जावेगा। प्रा.पत्र वर्णित आराजी<br>का विक्रय प्रार्थीगण के पिता द्वारा किया गया है। विपक्षी<br>स.1 व 2 खातेदार है। मूलवाद मे कितना समय लगेगा<br>ये कुछ कहा नही जा सकता है। इस लिये ये उचित<br>समझते है कि मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक दोनो<br>पक्षो को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।<br>आराजी स. 493/373 रकबा 1.052 है भूमि जो कि<br>ग्राम राजगढ तलाब प.ह. डोराई मे स्थित है। जिसके<br>रिकार्ड व मौके की मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक<br>प्रार्थीगण व विपक्षी स.1 व 2 यथास्थिति बनाये रखे।<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br>[signature] |